19-11-20
21-1-21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1 व 2 अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली 6-4-22 को पेश हो

6-4-22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1 व 2 अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली 13-4-22 को पेश हो

13-4-22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1 व 2 समय चाहते है न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब 29-4-22 को पेश हो

27-4-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को 27-7-21 से वास्ते जवाब बार. अवसर दिये जाने पर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है तथा पत्रावली को निर्णीत किया जाता है संक्षेप में निर्णय निम्नांकित है कि

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं काबिज काश्त की कृषि ख.न. 1/1158 रकबा 0.50 हैक्टेयर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ख.न. 2 रकबा 0.75 हेक्टर ग्राम ... ख.न. 2 रकबा 0.75 हैक्टर ग्राम ... में स्थित है, प्रार्थी भण्डी तहसील इन्द्रगढ में स्थित है, प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराया गया था सीमाज्ञान रिपोर्ट मे प्रार्थी को बताया गया कि ख.न. 1/1158 की आंशिक भूमि पर अप्रार्थीगण 1 व 2 कब्जा होना बताया है, लेकिन आंशिक कब्जा किस दिशा में है यह नही बताया गया। जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट नही है। प्रार्थी ने जनवरी 2021 मे सीमा चिन्ह गाडने पर अप्रार्थी स. 1 व 2 प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये एव मुकदमे मे फसाने की धमकिया देते है। इस लिए प्रार्थना पत्र आवश्यक हो गया है। और निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के पत्थर गडी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी स. 3 को प्रदान किये जावे। हमारे द्वारा प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स. 1 व 2 को तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 व 2 को बार-बार अवसर दिये जाने पर कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनाक 29-9-2020 के अवलोकन से स्पस्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराया गया फर्द सीमाज्ञान मे प्रार्थी प्रार्थी की आंशीक भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे मे होना भी बताया गया है, किन्तु आंशिक कब्जा किस दिशा मे यह फर्द सीमाज्ञान मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही बताया गया। इससे यह स्पष्ट है, कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की सीमाये मौके पर नही है। उपरोक्त तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र

File No. 15/ ...

उपखण्ड अधिकारी (बूंदी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्यायहित मे स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख. न. 1/1158 रकबा 0.58 हैक्टर ख. न. 2 रकबा 0.75 हैक्टर वाके ग्राम सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ मे स्थित कृषि भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति मे सीमाओ का निर्धारण करते हुए सीमा चिन्ह अंकित कर पत्थरगढी करवाई जावे। पत्रावली कैफियत मुरत्तब होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27-4-2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पुनश्चय दौराने पुनः सीमाज्ञान प्रार्थी की भूमि पर अन्य का कब्जा पाया होने पर उस सीमा पर सीमा चिन्हो मे कपट लगादिये जावे पत्थरगढी की कार्यवाही नही जावे। उपखण्ड अधिकारी नाडौरी (बून्दी) उपखण्ड अधिकारी नाडौरी (बून्दी)	